न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/69/2021	08–10–2021	23–08–2022

01– श्रीमती बनारसी देवी पत्नी ठाकुर सिंह गुर्जर निवासी ग्राम हरनाथ की ढाणी तन धीरपुर तहसील बानसुर जिला अलवर।

–अपीलाण्ट

बनाम

01– तहसीलदार बानसूर जिला अलवर।

–रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार बानसूर दिनांक 22.02.2019 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 345/2019

उपस्थितः–

01–श्री राजेश गुप्ता –वकील अपीलाण्ट

01–श्री दीपक मीना –राजकीय अभिभाषक

निर्णय

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार बानसूर के आदेश दिनांक 22.02.2019 प्रकरण संख्या 345/2019 जिसके द्वारा सम्वत 2075 में अपीलान्ट को ग्राम धीरपुर तहसील बानसूर की आराजी खसरा नम्बर 653 रकबा 2.27 है0 किस्म बारानी द्वितीय में से 0.12 है0 पर सरसो की फसल, 652 रकबा 2.80 है0 किस्म गैर मुमकिन खाल खद्वर में से 0.25 है0 सरसो की फसल एव आराजी खसरा न0 656 रकबा 3.04 है0 किस्म बारानी द्वितीय में से 0.25 है0 में सरसो की फसल काश्त किये जाने पर/पश्चातवर्ती अतिक्रमण के विरूद्व तीन माह का सिविल कारावास/बेदखली/पैनल्टी से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलांट उपस्थित। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि ग्राम धीरपुर तहसील बानसूर में स्थित आराजी खसरा न0 652, 653, 656 किस्म बारानी द्वितीय, गैर मुमकिन खाल खद्वर के किसी भाग पर अपीलान्ट ने कोई कब्जा नही किया गया है, ना ही काश्त की गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयान के आधार पर आलोच्य आदेश पारित किया गया है। आराजी खसरा न0 652, 653, 656 किस्म किस्म बारानी द्वितीय, गैर मुमकिन खाल खद्वर वाके ग्राम धीरपुर के 0.62 है0 पर अतिक्रमण करना वताया है। उपरोक्त अतिक्रमण बाबत पटवारी हल्का हरसोरा द्वारा किसी प्रकार की पैमाईश नही की गई है। पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट की काश्तकारी की आराजी एवं सरकारी नाले की भूमि की कोई पैमाईश नही की गई है, जिसके बिना अपीलान्ट को सरकारी भूमि पर अतिक्रमण वताना न्यायोचित नही है, जिस बिन्दू पर तहत न्यायालय ने समुचित गौर न करते हुए अपीलान्ट के विरूद्व आदेश पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के मौखिक वयानात के आधार पर आलोच्य आदेश विधि विरूद्व पारित किया गया है, उक्त प्रकरण में भू0 राजस्व अधिनियम की धारा 91 (6) की पालना नही की गई है, न ही पटवारी हल्का द्वारा पूर्व में निर्णयो की कोई सत्यापित प्रतिलिपि उक्त प्रकरण में तहत अदालत के समक्ष पेश की है, जिस कारण से पश्चातवर्ती अतिक्रमण को पटवारी

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

हल्का द्वारा किसी भी प्रकार से साबित नही किया गया है। जिस आधार पर पारित निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 22.02.2019 की सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्ट को दिनाक 21.05.2019 को उस समय हुई जब पटवारी हल्का द्वारा धमकी दी गयी कि अपीलान्टस के विरूद्व तहसीलदार बानसूर द्वारा आदेश जारी किये गये है। जिस पर अपीलान्टस ने आलोच्य आदेश की प्रति दिनाक 21.05.2019 को ही आवेदन कर दिनाक 24.05.2019 को सत्यप्रतिलिपि प्राप्त की गयी आलोच्य आदेश दिनाक 22.02.2019 से सर्वप्रथम जानकारी एवं नकल मिलने का समय दिनाक 24.05.2019 एवं उसके पश्चात अपील पेश करने तक के समय को कन्डोन फरमाते हुये अपील अन्दर अवधि करार दिये जाने योग्य है, इस हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद का पेश कर अपील अपीलान्टस स्वीकार फरमायी जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय को अपास्त किया जावे।

राजकीय अभिभाषक उपस्थित। विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया है, कि विवादित आराजी खसरा न0 653, 652 व खसरा न0 656 किस्म बारानी द्वितीय/गैर मुमकीन खाल खद्वर की है, जो राजकीय भूमि है, जिस पर किसी को अतिक्रमण किये जाने का कोई अधिकार नही है, अवैध कब्जा किये जाने पर तहत अदालत द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए पश्चातवर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर अतिक्रमीयो के विरूद्व तीन माह का सिविल कारावास/ बेदखली/पैनल्टी से दण्डित किया गया है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित है। अपील अपीलान्ट खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र 5 कानूनी मियाद पर विचार किया। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.02.2019 के विरूद्व यह अपील न्यायालय हाजा को दिनाक 30.05.2019 को पेश की गयी है, जो करीब 3 माह बाद पेश की गयी है, तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.02.2019 की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 22.02.2019 को होना अंकित किया है, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्वान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।अपीलान्ट का मुख्य कथन है कि विवादित आराजीयात पर अपीलान्ट ग्राम धीरपुर तहसील बानसूर में स्थित आराजी खसरा न0 653, 652, 656 रकबा 0.12, 0.25, 0.25 है0 किस्म बारानी द्वितीय, गैर मुमकिन खाल खद्वर के किसी भाग पर अपीलान्ट ने कोई कब्जा नही किया गया है, ना ही काश्त की गई। उपरोक्त अतिक्रमण बाबत पटवारी हल्का द्वारा किसी प्रकार की पैमाईश नही की गई है। पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट की काश्तकारी की आराजी एवं सरकारी नाले की भूमि की कोई पैमाईश नही की गई है, जिसके बिना अपीलान्ट को सरकारी भूमि पर अतिक्रमण बताना न्यायोचित नही है, जिस बिन्दू पर तहत न्यायालय ने समुचित गौर न करते हुए अपीलान्ट के विरूद्व आदेश पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के मौखिक बयानात के आधार पर आलोच्य आदेश विधि विरूद्व पारित किया गया है, उक्त प्रकरण में भू0 राजस्व अधिनियम की धारा 91(6) की पालना नही की गई है, जिस कारण से पश्चातवर्ती अतिक्रमण को पटवारी हल्का हरसोरा द्वारा किसी भी प्रकार से साबित नही किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का हरसोरा तहसील बानसूर द्वारा दिनांक 14.01.2019 को सम्वत 2075 में आराजी खसरा न0 653 रकबा 2.27 है0 में से रकबा 0.12 है0 किस्म बारानी द्वितीय में सरसो की फसल , आराजी खसरा न0 652 रकबा 2.80 है0 में से रकबा 0.25 है0 किस्म गैर मुमकिन खाल खद्वर भूमि में सरसो की फसल काश्त किये जाने व आराजी खसरा न0 656 रकबा 3.04 में से रकबा 0.25 है0 किस्म बारानी द्वितीय में सरसो की फसल काश्त किये जाने अवैध कब्जा करने पर पेश की गयी।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमी को पश्चातवर्ति अतिक्रमण किये जाने पर धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नोटिस जारी कर दिनाक 28.01.2019 को तलब किया गया। अतिक्रमी बावजुद सूचना के अनुपस्थित रहे पुन नोटिस जारी कर दिनाक 08.02.2019 नियत की गयी अतिक्रमी बावजुद सूचना के अनुपस्थित रहे, अतिक्रमी को पुनः नोटिस जारी कर दिनाक 22.02.2019 को उपस्थित होने हेतु आदेश जारी किये गये जिनकी पालना में अतिक्रमी तहत अदालत के समक्ष उपस्थित अपने जवाब में शपथ पत्र पेश किया गया आदेशिका दिनाक 08.02.2019 से जाहिर है। पटवारी हल्का के बयान दर्ज किये गये। पटवारी हल्का ने अपने बयान दिनाक 22.02.2019 में अंकित किया है, कि आराजी खसरा न0 653, 652 व 656 रकवा 2.27, 2.80 व 3.04 किस्म बारानी द्वितीय/गैर मुमकिन खाल खद्वर की है, जो सरकारी भूमि है, पर अतिक्रमी बनारसी देवी पत्नी ठाकुर सिंह जाति गुर्जर निवासी हरनाथ की ढाणी के अतिक्रमण किया गया है, जिनके विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही हेतु धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत रिपोर्ट पेश की गयी है, इनके विरूद्व पूर्व में भी अतिक्रमण किया गया था जिनके विरूद्व धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत बेदखल किया गया था। अब पुन पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया गया है। उक्त अतिक्रमी बार-बार अतिक्रमण करने के आदी है। अर्थात आदतन अतिचारी है। तहत अदालत के समक्ष अतिक्रमी द्वारा अपने जवाब में शपथ पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया गया है, कि ग्राम धीरपुर तहसील बानसूर की आराजी खसरा न0 653, रकवा 2.27 है0 किस्म खाल खद्वर में से रकवा 0.12 है0, 652 रकवा 2.80 है0 किस्म खाल खद्वर में से 0.25 है0, 656 रकवा 3.04 है0 किस्म खाल खद्वर में से 0.25 है0 पर से अपना कब्जा हटा लिया है, और वर्तमान में उक्त भूमि पर मेरा कोई कब्जा नही है, तथा न ही भविष्य में उक्त भूमि पर कब्जा करूगी। प्रस्तुत कथन की पुष्टि में न्यायालय हाजा द्वारा मौके की रिपोर्ट तहसीलदार बानसूर से तलब की गयी मौका रिपोर्ट दिनाक 24.02.2021 के अनुसार आराजी खसरा न0 652, 653, 656 में अपीलान्ट बनारसी देवी के पति के द्वारा काश्त की जा रही है। यह कहना गलत है, कि तहत अदालत द्वारा पटवारी हल्का के मौखिक बयानात के आधार पर आलोच्य आदेश विधि विरूद्व पारित किया गया है, उक्त प्रकरण में भू0 राजस्व अधिनियम की धारा 91 (6) की पालना नही की गई है, जिस कारण से पश्चातवर्ती अतिक्रमण को पटवारी हल्का हरसोरा द्वारा किसी भी प्रकार से सावित नही किया गया है। वर्णित आराजीयात राजकीय भूमि है, जिस पर अतिक्रमण किये जाने का किसी को कोई अधिकार नही है। तहत अदालत द्वारा विधिवत कार्यवाही पूर्ण कर विधिसम्मत दिनाक 22.02.2019 को निर्णय पारित किया गया है, पारित निर्णय की पालना में तहत अदालत द्वारा फर्द नीलामी/बेदखली पर्चा मौका की कार्यवाही की गयी है। पारित निर्णय न्यायोचित प्रक्रियानुसार है, किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नही होता है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.02.2019 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली वाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 23.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23.08.2022

(अखिलेश कुमार पिपल)
अति0 जिला कलेक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)